

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 505]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 2014/फाल्गुन 9, 1935

No. 505]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 2014/PHALGUNA 9, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2014

का.आ. 588 (अ).—केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के सवाईमाधोपुर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11-बी के किमी 17/230 से किमी 33/280 (लालसोट- करौली खण्ड) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/4 लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया है; ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आपत्ति प्रकट कर सकेगा;

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप जिला कलेक्टर, बामनवास को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा ।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध है और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11-बी के किमी 17/230 से किमी 33/280 (लालसोट-करौली खण्ड) तक के भूखण्ड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वे/खसरा संख्या	प्रकार	प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सवाईमाधोपुर	बामनवास	सीतोड	994/2175	राजस्थान शासन	नदी	1720
				नदी	राजस्थान शासन	नदी	345

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-12013/36/2/2010/एसपी (सी-4)/पी-9]

वी. कृष्णास्वामी, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2014

S.O. 588 (E).—In exercise of powers conferred by sub-section(1) section 3A of the National Highway Act 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/ four lanning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 11-B, in the stretch of land from km 17/230 to km 33/280 (Lalsot-Karauli Section) in the district of Sawai-Madhopur in the State of Rajasthan, hereby declares its intension to acquire such land;

Any person interested in the said land may; within twenty one days from the date of publication of this notification in the official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Sub-District Collector, Bamanwas, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures, falling within the stretch of land from km 17/230 to km 33/280 (Lalsot – Karauli Section) of National Highway No. 11-B, in the State of Rajasthan.

S. No.	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey/ Khasara No.	Type	Nature	Area (in Square meter)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sawai-Madhopur	Bamanwas	Sitod	994/2175	Rajasthan Govt.	River	1720
				River	Rajasthan Govt.	River	345

[F. No. RW/NH-12013/36/2/2010/SP(C/4)/P-9]

V. KRISHNASWAMY, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2014

का.आ. 589(अ).—केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के सवाईमाधोपुर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11-बी के किमी 33/280 से किमी 58/750 (लालसोट-करौली खण्ड) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/4 लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया है; ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा(1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आपत्ति प्रकट कर सकेगा;

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप जिला कलेक्टर, गंगापुरसिटी को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा ।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्योरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध है और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11-बी के किमी 33/280 से किमी 58/750 (लालसोट-करौली खण्ड) तक के भूखण्ड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वे/खसरा संख्या	प्रकार	प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सवाईमाधोपुर	गंगापुर	थली	201	राजस्थान शासन	नदी	780
				495	राजस्थान शासन	असिंचित	2250
				600/276	निजी	सिंचित	30
			उदई कलौ	4164	निजी	असिंचित	1000
			सालोदा	89	राजस्थान शासन (रीको)	असिंचित	3600
			खानपुर बडौदा	193	राजस्थान शासन	रास्ता	334
				193	राजस्थान शासन	पाल	837
				362	राजस्थान शासन	बज्जंड	7040
				403	राजस्थान शासन	रास्ता	1030

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-12013/36/2/2010/एसपी (सी-4)/पी-9]

वी. कृष्णास्वामी, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2014

S.O. 589(E).—In exercise of powers conferred by sub-section(1) section 3A of the National Highway Act 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/ four lanning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 11-B, in the stretch of land from km 33/280 to km 58/750 (Lalsot-Karauli Section) in the district of Sawai-Madhopur in the State of Rajasthan, hereby declares its intension to acquire such land;

Any person interested in the said land may; within twenty one days from the date of publication of this notification in the official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Sub-District Collector, Gangapur City, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures, falling within the stretch of land from km 33/280 to km 58/750 (Lalsot – Karauli Section) of National Highway No. 11-B, in the State of Rajasthan.

S. No.	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey/ Khasara No.	Type	Nature	Area (in Square meter)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sawai-Madhupur	Gangapur	Thali	201	Rajasthan Govt.	River	780
				495	Rajasthan Govt.	Dry	2250
				600/276	Private	Wet	30
			Udaikala	4164	Private	Dry	1000
			Saloda	89	Rajasthan Govt. (RIICO)	Dry	3600
			Khanpur Badoda	193	Rajasthan Govt.	Road	334
				193	Rajasthan Govt.	Pal	837
				362	Rajasthan Govt.	Bajjad	7040
				403	Rajasthan Govt.	Road	1030

[F. No. RW/NH-12013/36/2/2010/SP(C/4)/P-9]

V. KRISHNASWAMY, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2014

का.आ. 590(अ).—केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के करौली जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11-बी के किमी 58/750 से किमी 65/130 (लालसोट-करौली खण्ड) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/4 लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया है; ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आपत्ति प्रकट कर सकेगा;

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप जिला कलेक्टर, सपोटरा को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा ।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध है और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11-बी के किमी 58/750 से किमी 65/130 (लालसोट-करौली खण्ड) तक के भूखण्ड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वे/खसरा संख्या	प्रकार	प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	करौली	सपोटरा	महमदपुर	317/586	राजस्थान शासन	आबादी	3000
				317	राजस्थान शासन	आबादी	

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-12013/36/2/2010/एसपी (सी-4)/पी-9]

वी. कृष्णास्वामी, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2014

S.O. 590(E).—In exercise of powers conferred by sub-section(1) section 3A of the National Highway Act 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/ four lanning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 11B, in the stretch of land from km 58/750 to km 65/130 (Lalsot-Karauli Section) in the district of Karauli in the State of Rajasthan, hereby declares its intension to acquire such land;

Any person interested in the said land may; within twenty one days from the date of publication of this notification in the official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Sub-District Collector, Sapotara, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures, falling within the stretch of land from km 58/750 to km 65/130 (Lalsot – Karauli section) of National Highway No. 11-B, in the State of Rajasthan.

S. No.	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey/ Khasara No.	Type	Nature	Area (in Square meter)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Karauli	Sapotra	Mahmadpur	317/586	Rajasthan Govt.	Abadi	3000
				317	Rajasthan Govt.	Abadi	

[F. No. RW/NH-12013/36/2/2010/SP(C/4)/P-9]

V. KRISHNASWAMY, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2014

का.आ. 591(अ).—केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के करौली जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11-बी के किमी 65/130 से किमी 84/000 (लालसोट-करौली खण्ड) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/4 लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया है; ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आपत्ति प्रकट कर सकेगा;

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप जिला कलेक्टर, करौली को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्योरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11-बी के किमी. 65/130 से किमी. 84/000 (लालसोट-करौली खण्ड) तक के भूखण्ड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वे/खसरा संख्या	प्रकार	प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	करौली	करौली	गोपालपुरसाय	नदी	राजस्थान शासन	नदी	660
				327 / 1	राजस्थान शासन	चुनाभट्टी	2200
			रामपुर	77	राजस्थान शासन	रास्ता	50
				80 / 3	राजस्थान शासन	रास्ता	330
				80 / 4	राजस्थान शासन	चारागाह	1000
			बरखेडा	534	राजस्थान शासन	नदी	1580
				नदी	राजस्थान शासन	नदी	300

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-12013/36/2/2010/एसपी (सी-4)/पी-9]

वी. कृष्णास्वामी, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2014

S.O. 591(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) Section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four lanning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 11B, in the stretch of land from km. 65/130 to km. 84/000 (Lalsot-Karauli Section) in the District of Karauli in the State of Rajasthan, hereby declares its intension to acquire such land;

Any person interested in the said land may; within twenty one days from the date of publication of this notification in the official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Sub-District Collector, Karauli, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures, falling within the stretch of land from km. 65/130 to km. 84/000 (Lalsot–Karauli Section) of National Highway No. 11-B, in the State of Rajasthan.

Sl. No.	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey/ Khasara No.	Type	Nature	Area (in Square meter)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Karauli	Karauli	Gopalpursay	River	Rajasthan Govt.	River	660
				327/1	Rajasthan Govt.	Chunabhatti	2200
			Rampur	77	Rajasthan Govt.	Road	50
				80/3	Rajasthan Govt.	Road	330
				80/4	Rajasthan Govt.	Charagah	1000
			Barkheda	534	Rajasthan Govt.	River	1580
				River	Rajasthan Govt.	River	300

[F. No. RW/NH-12013/36/2/2010/SP(C/4)/P-9]

V. KRISHNASWAMY, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2014

का.आ. 592(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1984 (अ), तारीख 03 जुलाई, 2013 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के सवाईमाधोपुर जिले के तहसील बामनवास में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11-बी के किमी. 17/230 से किमी. 33/280 (लालसोट से करौली खण्ड) तक के भूखण्ड के निर्माण (चार लेन का बनाने/चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन 25 अगस्त, 2013 तारीख को "राजस्थान पत्रिका" और "दैनिक भास्कर" में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11-बी के किमी. 17/230 से किमी. 33/280 (लालसोट-करौली खण्ड) तक के भूखण्ड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण / खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सवाई माधोपुर	बामनवास	सीतोड	1005	निजी	सिंचित	1040	सुबुधि पिता प्योबक्ख गुर्जर, रामप्रसाद पिता प्योजी गुर्जर, गिराजी, रजन पुत्रियाँ प्योजी गुर्जर
				1006	निजी	सिंचित	210	सुबुधि पिता प्योबक्ख गुर्जर, रामप्रसाद पिता

								ष्योजी गुर्जर, गिराजी, रजन पुत्रियाँ ष्योजी गुर्जर
				1007	निजी	सिंचित	50	गंगासहाय पिता रामबक्श गुर्जर
				1008	निजी	सिंचित	50	सुबुधि पिता ष्योबक्श गुर्जर, रामप्रसाद पिता ष्योजी गुर्जर, गिराजी, रजन पुत्रियाँ ष्योजी गुर्जर
				1030	निजी	सिंचित	475	सुबुधि पिता ष्योबक्श गुर्जर, रामप्रसाद पिता ष्योजी गुर्जर, गिराजी, रजन पुत्रियाँ ष्योजी गुर्जर
				1031	निजी	सिंचित	335	रामगोपाल पिता नानगा, ष्योजी, रामसिंह पिता गंगाधर, मूल्या हरमूख पिता मांग्या, पुखराज रुपसिंह ज्ञानसिंह भीमराज समयराज पिता सुरज्या सुबुधि पुत्र ष्योबक्श, ष्योजी पिता मोहनलाल
				1032	निजी	सिंचित	50	रामगोपाल पिता नानगा, ष्योजी, रामसिंह पिता गंगाधर, मूल्या हरमूख पिता मांग्या, पुखराज रुपसिंह ज्ञानसिंह भीमराज समयराज पिता सुरज्या सुबुधि पिता ष्योबक्श, ष्योजी पिता मोहनलाल
				1033	निजी	असिंचित	105	गिराज, राधेष्माम पिता लक्ष्मण, द्रोपती पुत्री लक्ष्मण, नमोहरि, सुबेदार मदन मुनीराम पिता लक्ष्मण
				1034	निजी	सिंचित	245	गिराज, राधेष्माम पिता लक्ष्मण, द्रोपती पुत्री लक्ष्मण, नमोहरि, सुबेदार मदन मुनीराम पिता लक्ष्मण
1035	निजी	सिंचित	120	गिराज, राधेष्माम पिता लक्ष्मण, द्रोपती पुत्री लक्ष्मण, नमोहरि, सुबेदार मदन मुनीराम पिता लक्ष्मण				

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-12013/36/2/2010/एसपी (सी-4)/पी-9]

वी. कृष्णास्वामी, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2014

S.O. 592(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways No. S.O. 1984(E), dated 3rd July, 2013, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-lanning etc.), maintenance, management and operation of National Highways No. 11-B on the stretch of land from km. 17/230 to km. 33/280 (Lalsot-Karauli Section) in the District of Sawai Madhopur in the State of Rajasthan.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Rajasthan Patrika” and “Dainik Bhaskar” dated 25th August, 2013; under sub-section (3) of Section 3A of the said Act.

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the stretch of land from km. 17/230 to km. 33/280 (Lalsot-Karauli Section) of National Highway No. 11B, in the State of Rajasthan.

Sl. No.	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey/ Khasara No.	Type of land	Nature of land	Area (in Sqm)	Name of landowner/interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Sawai-Madhupur	Bamanwas	Sitod	1005	Private	Wet	1040	Subudhi s/o Shyobaksh Gurjar, Ramprasad s/o Shyoji Gurjar, Girraji, Rajan d/o Shyoji Gurjar
				1006	Private	Wet	210	Subudhi s/o Shyobaksh Gurjar, Ramprasad s/o Shyoji Gurjar, Girraji, Rajan d/o Shyoji Gurjar

				1007	Private	Wet	50	Gangasahai Rambax Gurjar
				1008	Private	Wet	50	Subudhi s/o Shyobaksh Gurjar, Ramprasad s/o Shyoji Gurjar, Girraji, Rajan d/o Shyoji Gurjar
				1030	Private	Wet	475	Subudhi s/o Shyobaksh Gurjar, Ramprasad s/o Shyoji Gurjar, Girraji, Rajan d/o Shyoji Gurjar
				1031	Private	Wet	335	Ramgopal s/o Nanaga, Shyoji Ramsingh s/o Gangadhar, Mulya Harmukh s/o Mangya, Pukharaj, Rupsingh, Dhyansingh, Bhimraj, Samayaraj s/o Surajya, Subudhi s/o Shyobax, Shyoji s/o Mohan Lal
				1032	Private	Wet	50	Ramgopal s/o Nanaga, Shyoji Ramsingh s/o Gangadhar, Mulya Harmukh s/o Mangya, Pukharaj, Rupsingh, Dhyansingh, Bhimraj, Samayaraj s/o Surajya, Subudhi s/o Shyobax, Shyoji s/o Mohan Lal
				1033	Private	Dry	105	Giriraj, Radhesham s/o Laxman, Dropati d/o Laxman, Namohari Subedar, Madan, Muniram s/o Laxman
				1034	Private	Wet	245	Giriraj, Radhesham s/o Laxman, Dropati d/o Laxman, Namohari Subedar, Madan, Muniram s/o Laxman
				1035	Private	Wet	120	Giriraj, Radhesham s/o Laxman, Dropati d/o Laxman, Namohari Subedar, Madan, Muniram s/o Laxman

[F. No. RW/NH-12013/36/2/2010/SP(C/4)/P-9]

V. KRISHNASWAMY, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2014

का.आ. 593(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1985(अ), तारीख 03 जुलाई, 2013 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के सवाईमाधोपुर जिले के तहसील गंगापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11-बी के किमी. 33/280 से किमी. 58/750 (लालसोट-करौली खण्ड) तक के भूखण्ड के निर्माण (चार लेन का बनाने/चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन 25 अगस्त, 2013 तारीख को "राजस्थान पत्रिका" और "दैनिक भास्कर" में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुये थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11—बी के किमी. 33/280 से किमी. 58/750 (लालसोट—करौली खण्ड) तक के भूखण्ड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वे/खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सवाई माधोपुर	गंगापुर्	1. थली	456	निजी	सिंचित	40	रामश्री पिता भेरुबक्स गुजर
				457	निजी	सिंचित	190	रामश्री पिता भेरुबक्स गुजर
				458	निजी	सिंचित	400	रामश्री पिता भेरुबक्स गुजर
				459	निजी	सिंचित	500	रामश्री पिता भेरुबक्स गुजर
				460	निजी	सिंचित	400	रामश्री भेरुबक्स गुजर
				461	निजी	सिंचित	850	रामश्री पिता भेरुबक्स गुजर
				492	निजी	सिंचित	430	कोशल, किशोर पिता लाल चन्द ब्राह्मण, राधामोहन, बाबूलाल, बजमोहन, मनमोहन पि. झूतालाल सुनार
				494	निजी	सिंचित	1330	दरबसिंह, हरकेश, शिवलाल, सूरजान पि0 मवासी गुजर, सोनी बेवा मवासी गुजर
				500	निजी	सिंचित	935	लक्ष्मीनारायण पिता रामदेव, विलारहन रामराज पिता रामदेव, बजमोहन पिता रामदेव, हंसराज रामहंस पिता रामसहाय राधामोहन, हरगोविंद पिता पाच्या, रामकिशन रामनारायण पि. उम्मेद
				501	निजी	सिंचित	2720	प्रभु पिता मिसरया गुजर
				502	निजी	सिंचित	1700	प्रभु पिता मिसरया गुजर
				503	निजी	असिंचित	1445	प्रभु पिता मिसरया गुजर, बिलारहन, नारायण पि. मिश्रा गुजर
				270	निजी	असिंचित	3200	रूपनारायण, रामजीलाल पि. बन्सी खाती
				275	निजी	सिंचित	1950	छुट्णलाल पिता पुन्याराम कोली, हेमराज पिता नानकचंद बेरवा
				595/ 275	निजी	आवासीय	400	हेमराज पिता नानकचंद बेरवा
				596/ 275	निजी	कुँआ	150	छुट्णलाल पिता पुन्याराम कोली
				276	निजी	सिंचित	2300	अरविंद कुमार पिता सत्यनारायण गोयल चिन्नु सिंधी पिता धरमदास लखवानी नरेश कुमार पिता बलदेवराज पंजाबी
			2. उदई कलौ	4966	निजी	असिंचित	100	अनीसअली पिता अतीकअली मुसलमान
				4967	निजी	असिंचित	800	मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अजमल पिता इस्ताक अहम्मद, मोहम्मद अकमल, मोहम्मद अबूजर पुत्रान विलायत, इस्ताक अहमद पिता नियाज अहमद, शब्बीरअली पिता मोहम्मदअली, अतीकअली पिता मोहम्मदअली
				4957	निजी	असिंचित	550	अनवारअली पिता मन्जूरअली, कृष्णा पत्नी नगेन्द्र पाराशर,

								मनोहरलाल पिता चिरंजी लाल शर्मा, द्रौपति देवी पत्नी बच्चूसिंह राजपूत
			4960	निजी	असिंचित	450		राजेश कुमार पिता मदन मोहन महाजन
			4165	निजी	असिंचित	500		दीपक पिता श्रीधर शर्मा, जमीला बानो पत्नी अब्दुल अजीज मुसलमान
			4161	निजी	सिंचित	1025		अनीसअली पिता अतीकअली मुसलमान
			4162	निजी	सिंचित	250		अनीसअली पिता अतीकअली मुसलमान
			4144	निजी	सिंचित	1500		अनीसअली पिता अतीकअली मुसलमान
			4145	निजी	सिंचित	150		रहीसअली पिता अतीकअली मुसलमान
			4143	निजी	सिंचित	350		अनीसअली पिता अतीकअली मुसलमान
			4146	निजी	सिंचित	450		आरिफअली पिता अतीकअली मुसलमान
			4147	निजी	सिंचित	350		अरिफअली पिता अतीकअली मुसलमान
			4142	निजी	सिंचित	550		अनीसअली पिता अतीकअली मुसलमान
			4141	निजी	सिंचित	250		अनीसअली पिता अतीकअली मुसलमान
			4125	निजी	सिंचित	150		नफीसअली पिता अतीकअली मुसलमान
			4126	निजी	सिंचित	350		रहीसअली पिता अतीकअली मुसलमान
			4127	निजी	सिंचित	300		आरिफअली पिता अतीकअली मुसलमान
			4124	निजी	सिंचित	150		सीताराम सिंघल पिता कल्याण प्रसाद महाजन, अतरसिंह पिता रामसहाय गुर्जर, मुफीदअहमद पिता एजाजअहमद मुसलमान, महिमा पत्नी शशिकांत महाजन, महेशचंद पिता गिराजप्रसाद महाजन
			4118	निजी	सिंचित	180		शब्बीरअली पिता मोहम्मदअली मुसलमान, धर्मबाई पत्नी मोहनलाल मीना
			4110	निजी	सिंचित	50		रामखिलाड़ी पिता धोकल मीना
			4111	निजी	सिंचित	150		श्री किशन पिता देवचन्द मीना, इस्माईलखाँ पिता छाज्याखाँन
			4112	निजी	सिंचित	250		श्री किशन पिता देवचन्द मीना, इस्माईलखाँ पिता छाज्याखाँन
			4113	निजी	सिंचित	300		रामखिलाड़ी पिता धोकल मीना, इस्माईलखाँ पिता छाज्याखाँन
			4114	निजी	असिंचित	750		शब्बीरअली, अतीकअली पि. मोहम्मद अली, नजीम अली, मुर्तजाअली, अनवरअली मकबूल अली पि. मंजूरअली, जाकिरअली जाबिरअली जावेदअली, आमिरअली पि. हकीमअली, अहमदअली पिता मंजूरअली, शब्बीरअली पिता मोहम्मद अली

				4116	निजी	सिंचित	50	शब्बीरअली पिता मोहम्मद अली मुसलमान, धर्मबाई पत्नी मोहनलाल मीना
			3. डिपस्या	1718	निजी	असिंचित	300	किरोडीलाल पिता रामज्या मीना
				1719	निजी	असिंचित	150	किरोडीलाल पिता रामज्या मीना
				1720	निजी	असिंचित	250	किरोडीलाल पिता रामज्या मीना
				1720 / 1818	निजी	असिंचित	400	ओमप्रकाश पिता गजानन्द मीना, संतरादेवी पत्नी कांतिचंद मीना, गोरन्ती पत्नी शिवनारायण मीना, कमला पत्नी रामलाल मीना
		4. खानपुर बड़ौदा		70	निजी	सिंचित	315	अब्दूल, शकूरखॉ, रहनखॉ शफीखॉ, अकबर खॉ, पि. मामोलीखॉ
				71	निजी	सिंचित	986	अब्दूल, शकूरखॉ, रहनखॉ शफीखॉ, अकबर खॉ, पि. मामोलीखॉ
				69	निजी	सिंचित	731	अब्दूल, शकूरखॉ, रहनखॉ शफीखॉ, अकबर खॉ, पि. मामोलीखॉ
				67	निजी	सिंचित	1030	अब्दूल, शकूरखॉ, रहनखॉ शफीखॉ, अकबर खॉ, पि. मामोलीखॉ
				72	निजी	सिंचित	20	अब्दूल, शकूरखॉ, रहनखॉ शफीखॉ, अकबर खॉ, पि. मामोलीखॉ
				66	निजी	सिंचित	2740	अब्दूल, शकूरखॉ, रहनखॉ शफीखॉ, अकबर खॉ, पि. मामोलीखॉ
				64	निजी	सिंचित	25	अब्दूल, शकूरखॉ, रहनखॉ शफीखॉ, अकबर खॉ, पि. मामोलीखॉ
				83	निजी	सिंचित	1866	राधागुप्ता पत्नी सीताराम गुप्ता, अर्पणा पत्नी सत्यनारायण शर्मा, मीरा पत्नी घनश्याम वावरिया, हेमलता पत्नी हनुमान प्रसाद महाजन, मधुदेवी पत्नी प्रवीण कुमार महाजन
				82	निजी	सिंचित	210	रुकमणी देवी पत्नी बाबुलाल अग्रवाल, हेमलता पत्नी हनुमान प्रसाद, मायादेवी पत्नी रामअवतार, लक्ष्मी दुबे पत्नी सन्तोषकुमार दुबे, राधागुप्ता पत्नी सीताराम गुप्ता, अर्पणा पत्नी सत्यनारायण शर्मा, मगनबाई पत्नी रामस्वरूप वावरिया, मामोली पिता शंकर, नजीरखॉ, पप्पुखॉ पिता मामोली, दिनेश चंद पिता घुडमल महाजन, राधेश्याम पिता छोटेलाल महाजन
				86	निजी	सिंचित	1560	राधागुप्ता पत्नी सीताराम गुप्ता, अर्पणा पत्नी सत्यनारायण शर्मा, मीरा पत्नी घनश्याम वावरिया, हेमलता पत्नी हनुमान प्रसाद महाजन, मधुदेवी पत्नी प्रवीण कुमार महाजन
				87	निजी	सिंचित	56	इस्माइलखॉ, नूरखॉ, यासिनखॉ पि. कलुवाखॉ, अमीरखॉ वलीअहम्मदखॉ पि. बशीरखॉ,

							राधागुप्ता पत्नी सीताराम गुप्ता, अर्पणा पत्नी सत्यनारायण शर्मा, अब्दुलखॉ, रदनखॉ, शफीखॉ, अकबरखॉ पि. मामोली
			89	निजी	असिंचित	1755	राधागुप्ता पत्नी सीताराम गुप्ता, अर्पणा पत्नी सत्यनारायण शर्मा, मायादेवी पत्नी रामअवतार महाजन, प्रभु पिता बंशी, फुली बेवा चिरंजी, मिट्टुलाल, जगदीश प्रसाद पि. चिरंजी, हरकेश रामकेश शिवकेश पि. पिट्टू, प्यारबाई बेवा पिट्टू, बृजलाल, घनश्याम, कैलाश, केदार पि. मूलचन्द, दाखा नारायणी बेवा मूलचन्द
			92	निजी	असिंचित	3432	लक्ष्मी दुबे पत्नी सन्तोषकुमार दुबे, चन्दोदेवी पत्नी रामचरण खण्डेलवाल
			104	निजी	असिंचित	1600	मिश्रीलाल पिता लोहडच्या बैरवा
			199	निजी	असिंचित	1926	चिरन्जी पिता भोला गूर्जर
			200	निजी	असिंचित	1042	अमरसिंह नवलसिंह, कमलसिंह फतेहसिंह पि. मिश्रया गूर्जर, मौल्या पत्नी मिश्रया गूर्जर
			201	निजी	असिंचित	955	सांवलिया, परसादी पि. बंशी गूर्जर
			202	निजी	असिंचित	380	सांवलिया, परसादी पि. बंशी गूर्जर
			204	निजी	असिंचित	875	टमरलाल, नरसी, झण्डू, पि. मोतीलाल, रामपति बेवा मोतीलाल, सत्यनारायण पिता किशनलाल, रामपति बेवा किशनलाल, विशन पिता लल्लू
			205	निजी	असिंचित	1276	हजारी पिता गोरधन गूर्जर
			211	निजी	असिंचित	765	रामपति केशर बेवा रामजीलाल गूर्जर
			212	निजी	असिंचित	1515	नवल, शिवदयाल, मेघराम, सुरेश, दिनेश पि. चिम्नन गूर्जर
			213	निजी	असिंचित	1587	रामकिशोर पिता हरफूल गूर्जर
			167	निजी	सिंचित	70	घूडया, अजमेरी, अलानूर पि. कमल तेली
			171	निजी	असिंचित	1473	रामकुंवार पिता घूडया गुजर
			172	निजी	असिंचित	292	रामपति केशर बेवा रामजीलाल गूर्जर
			173	निजी	असिंचित	2140	गिराज पिता रामसहाय गूर्जर
			179	निजी	सिंचित	1210	गोरधन पिता रामहेत माली, पुन्या बेवा रामहेत माली, चौथी पत्नी धौजी माली, शीला पत्नी बुधराम माली
			178	निजी	सिंचित	2120	हरि पिता हरफुल माली
			180	निजी	सिंचित	10	गोरधन पिता रामहेत माली, पुन्या बेवा रामहेत माली, चौथी पत्नी धौजी माली, शीला पत्नी बुधराम माली
			177	निजी	सिंचित	91	हरि पिता हरफुल माली
			183	निजी	सिंचित	1945	हरि पिता हरफुल माली
			392	निजी	सिंचित	262	रामकिशोर पिता हरफूल गूर्जर
			393	निजी	सिंचित	825	रामपति बेवा रामधन, धर्मेन्द्र,

								गजेन्द्र, पि. रामधन, सुशीला पुत्री रामधन गुर्जर
			394	निजी	सिंचित	1290		चिरमोली पिता जौहरी गुर्जर
			401	निजी	सिंचित	470		चिरमोली पिता जौहरी गुर्जर
			402	निजी	सिंचित	540		चिरमोली पिता जौहरी गुर्जर
			407	निजी	सिंचित	630		घूडमल, काशीप्रसाद, रघुनन्दन, दिनेशकुमार पि. गंगासहाय, गायत्रीदेवी बेवा खेमचन्द, गौरवकुमार पिता खेमचन्द, सपना पुत्री खेमचन्द, मुरारीलाल पिता कपूरचन्द महाजन, राधेश्याम पिता बिरधीचंद, पुरुषोत्तमलाल, गोविंद पि. घासीलाल गर्ग, गिरधारीलाल पिता कपूरचंद
			423	निजी	सिंचित	255		हरि, सूरज, मदनमोहन पि. किशनलाल, महेश, भूरसिंह, चेतू पि. बदरी, रामपति बेवा बदरी, कैलासी बेवा नवल, सीताराम विजय पिता नवल, लाली मोटी, गायत्री, गल्ला पुत्रीयाँ नवल, नरसी, रमसीला पुत्रान मूला, जरसी बेवा कमल, सत्यनारायण, लक्ष्मण पि. कमल
			424	निजी	सिंचित	390		हरि, सूरज, मदनमोहन पि. किशनलाल, महेश, भूरसिंह, चेतू पि० बदरी, रामपति बेवा बदरी, कैलासी बेवा नवल, सीताराम विजय पिता नवल, लाली मोटी, गायत्री, गल्ला पुत्रीयाँ नवल, नरसी, रमसीला पुत्रान मूला, जरसी बेवा कमल, सत्यनारायण, लक्ष्मण पि. कमल
			457	निजी	सिंचित	1025		चिरमोली पिता रामसहाय गुर्जर
			425	निजी	सिंचित	545		कैलाश चन्द पिता चिरन्जीलाल महाजन
			426	निजी	सिंचित	85		राधेश्याम पिता फोंदीलाल महाजन
			470	निजी	सिंचित	720		सुखराम, श्रीफूल पि. मन्नू माली
			471	निजी	सिंचित	655		हरिप्रसाद पिता किशनलाल गुर्जर
			441	निजी	सिंचित	745		हरिओम पिता मिश्रीलाल, लक्ष्मीकान्त, जुगलकिशोर पि. हरीचरण, शांति बेवा हरीचरण, संतरा बेवा दामोदर, रामबाबू, राधामोहन, कल्लू पि. दामोदर, कमलेश, मिथलेश, सीमा पुत्री जगदीष, दीपक पिता जगदीश, सीतादेवी पत्नी जगदीश, रामेश्वर, ओमप्रकाश पि. गिराजप्रसाद
			472	निजी	सिंचित	1380		हरि, सूरज, मदनमोहन पि. किशनलाल, महेश, भूरसिंह, चेतू पि. बदरी, रामपति बेवा बदरी, कैलासी बेवा नवल, सीताराम विजय पिता नवल, लाली मोटी, गायत्री, गल्ला पुत्रीयाँ नवल, नरसी, रमसीला पुत्रान मूला, जरसी बेवा कमल, सत्यनारायण,

							लक्ष्मण पि. कमल
			443	निजी	सिंचित	375	हरिओम पिता मिश्रीलाल ब्राह्मण
			444	निजी	सिंचित	200	मोहरसिंह पिता नथुवा माली
			445	निजी	सिंचित	1000	मोहरसिंह पिता नथुवा माली, सन्दीप कुमार पिता ओमप्रकाश स्वर्णकार, प्रदीपकुमार, पिता ओमप्रकाश सोनी
			482	निजी	सिंचित	1690	हरि, सूरज, मदनमोहन पि. किशनलाल, महेश, भूरसिंह, चेतू पि. बदरी, रामपति बेवा बदरी, कैलासी बेवा नवल, सीताराम विजय पिता नवल, लाली मोटी, गायत्री, गल्ला पुत्रीयाँ नवल, नरसी, रमसीला पुत्रान मूला, जरसी बेवा कमल, सत्यनारायण, लक्ष्मण पि. कमल
			455	निजी	असिंचित	1465	रामजीलाल पिता सोन्या ब्राह्मण
			484	निजी	सिंचित	1180	सुखराम, श्रीफूल पि. मन्नु माली
			485	निजी	सिंचित	1540	स्वरूप पिता चौथ्या माली , श्रीफूल पिता चौथ्या माली, रामसिंह पिता बंशी माली, नवल पिता फैली माली, हरिज्ञान पिता वोमा माली, सत्यनारायण पिता भौरिलाल शर्मा, मिसरया पिता सुगन्या माली
			454	निजी	सिंचित	635	घनश्याम पिता मोतीलाल महाजन

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-12013/36/2/2010/एसपी (सी-4)/पी-9]

वी. कृष्णास्वामी, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2014

S.O. 593(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways No.S.O. 1985(E), dated 3rd July 2013, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four-lanning etc.), maintenance, management and operation of National Highways No. 11-B on the stretch of land from km. 33/280 to km. 58/750 (Lalsot-Karauli Section) in the District of Sawai Madhopur in the State of Rajasthan.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Rajasthan Patrika” and “Dainik Bhaskar” dated 25th August, 2013; under sub-section (3) of Section 3A of the said Act.

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures, falling within the stretch of land from km. 33/280 to km. 58/750 (Lalsot – Karauli Section) of National Highway No. 11B, in the State of Rajasthan.

Sl. No.	Name of the District	Name of the Taluk	Name of the village	Survey No/ khasra No.	Type of Land	Nature of land	Area (in Sqm)	Name of land owner/Interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sawai-Madhopur	Gangapur	1.Thali	456	Private	Wet	40	Ramshri S/O Bherubaksh Gurjar
				457	Private	Wet	190	Ramshri S/O Bherubaksh Gurjar
				458	Private	Wet	400	Ramshri S/O Bherubaksh Gurjar
				459	Private	Wet	500	Ramshri S/O Bherubaksh Gurjar
				460	Private	Wet	400	Ramshri S/O Bherubaksh Gurjar
				461	Private	Wet	850	Ramshri S/O Bherubaksh Gurjar
				492	Private	Wet	430	Koshal, Kishor S/O Lalchand Brahman, Radahamohan, Babulal, Brijmohan, Manmohan S/O Jhotalal Sunar
				494	Private	Wet	1330	Darabsingh, Shivrul, Surgyan, Harkesh S/O Mavasi Gurjar, Sony beva Mavasi Gurjar,
				500	Private	Wet	935	Laxmi narayan S/O, Ramdev, Bilaharan, Ramraj S/O Ramdev, Brijmohan S/O Ramdev, Hansraj, Ramhans S/O Ramsahay, Radhamohan, Hargovind S/O Pachya, Ramkishan Ramnaran S/O Ummed.
				501	Private	Wet	2720	Prabhu S/O Misarya Gurjar
				502	Private	Wet	1700	Prabhu S/O Misarya Gurjar
				503	Private	Dry	1445	Prabhu S/O Misarya Gurjar, Bilaharan, Narayan S/O Mishra Gurjar
				270	Private	Dry	3200	Rupnarayan, Ramjilal S/O Bansi Khati
				275	Private	Wet	1950	Chhuttanlal S/O Punyaram Koli.
				595/ 275	Private	Residential	400	Hemraj S/O Nanakchand Bairwa
				596/275	Private	Well	150	Chuttanlal S/O Punyaram Koli
				276	Private	Wet	2300	Arvind Kumar S/O Satyanarayan Goyal, Chinnu Sindhi S/O Dharamdas, Lakhavani. Naresh Kumar S/O Baldevraj Punjabi.
			2.Udai kala	4966	Private	Dry	100	Aneesali S/O Ateekali Musalman
				4967	Private	Dry	800	Mohammad-Akhtar, Mohammad-Afjal, Mohammad-Ajmal S/O Istak Ahmad, Mohammad Akamal, Mohammad Abujar S/O Vilayat, Istak Ahamad S/O Niyaj Ahmad, Shabbirali S/O Mohammadali, Ateekali S/O Mohammadali
				4957	Private	Dry	550	Anwarali S/O Manjoorali, Krishana W/O Nagendra Parasher, Manoharlal S/O Chiranjilal Sharma, Draupati Devi S/O Bacchu Singh Rajpoot.
				4960	Private	Dry	450	Rajesh Kumar S/O Madan Mohan Mahajan
				4165	Private	Dry	500	Deepak S/O Shridhar Sharama, Jamilabano W/O Abdul Ajij Musalman
				4161	Private	Wet	1025	Aneesali S/O Ateekali Musalman
				4162	Private	Wet	250	Anees Ali S/O Ateek Ali Musalman

				4144	Private	Wet	1500	Anees Ali S/O Ateek Ali Musalman
				4145	Private	Wet	150	Rahees Ali S/O Ateek Ali Musalman
				4143	Private	Wet	350	Anees Ali S/O Ateek Ali Musalman
				4146	Private	Wet	450	Arifali S/O Ateek Ali Musalman
				4147	Private	Wet	350	Arif Ali S/O Ateek Ali Musalman
				4142	Private	Wet	550	Anees Ali S/O Ateek Ali Musalman
				4141	Private	Wet	250	Anees Ali S/O Ateek Ali Musalman
				4125	Private	Wet	150	Nafees Ali S/O Ateek Ali Musalman
				4126	Private	Wet	350	Rahees Ali S/O Ateek Ali Musalman
				4127	Private	Wet	300	Arif Ali S/O Ateek Ali Musalman
				4124	Private	Wet	150	Sitaram Singhal S/O Kalyan Prasad Mahajan, Atarsinhg S/O Ramsahay Gurjar, Mufidahmad S/O Ajaj Ahmad Musalman, Mahima W/O Shashikant Mahajan, Mahesh Chand S/O Girrajprasad Mahajan
				4118	Private	Wet	180	Shabbir Ali S/O Mohammad Ali Musalman, Dharambai w/o Mohanlal Meena.
				4110	Private	Wet	50	Ramkhiladi S/O Dhokal Meena
				4111	Private	Wet	150	Shrikishan S/O Devchand Meena, Ismilekhan S/O Chhajyakhan
				4112	Private	Wet	250	Shrikishan S/O Devchand Meena, Ismilekhan S/O Chhajyakhan
				4113	Private	Wet	300	Ramkhiladi S/O Dhokal Meena, Ismilekhan S/O Chhajyakhan
				4114	Private	Dry	750	Shabbir Ali Ateek Ali S/O Mohammad Ali, Najim Ali, Murtja Ali, Anvar Ali, Makbul Ali S/O Manjur Ali, Jakir Ali, Jabir Ali Javed Ali, Amir Ali S/O Hakimali, Ahamad Ali S/O Manjur Ali Shabbir Ali S/O Mohammad Ali.
				4116	Private	Wet	50	Shabbir Ali S/O Mohammad Ali Musalman, Dharambai W/O Mohanlal Meena.
			3.Dipsya	1718	Private	Dry	300	Kirodilal S/O Ramjya Meena.
				1719	Private	Dry	150	Kirodilal S/O Ramjya Meena.
				1720	Private	Dry	250	Kirodilal S/O Ramjya Meena.
				1720/1818	Private	Dry	400	Omprakash S/O Gajanand Meena, Santaradevi W/O Kantichand Meena, Goranti W/O Shivrinarayan Meena, Kamala W/O Ramlal Meena.
			4. Khanpur Badoda	70	Private	Wet	315	Abdul, Shakurkhan, Raddankhan, Shafikhan, Akbarkhan S/O Mamolikhan .
				71	Private	Wet	986	Abdul, Shakurkhan, Raddankhan, Shafikhan, Akbarkhan S/O Mamolikhan .
				69	Private	Wet	731	Abdul, Shakurkhan, Raddankhan, Shafikhan, Akbarkhan S/O

						Mamolikhan .
	67	Private	Wet	1030	Abdul, Shakurkhan, Raddankhan, Shafikhan, Akbarkhan S/O Mamolikhan .	
	72	Private	Wet	20	Abdul, Shakurkhan, Raddankhan, Shafikhan, Akbarkhan S/O Mamolikhan .	
	66	Private	Wet	2740	Abdul, Shakurkhan, Raddankhan, Shafikhan, Akbarkhan S/O Mamolikhan .	
	64	Private	Wet	25	Abdul, Shakurkhan, Raddankhan, Shafikhan, Akbarkhan S/O Mamolikhan .	
	83	Private	Wet	1866	Radha Gupta W/O Sitaram Gupta, Aprna W/O Satyanarayan Sharma, Meera W/O Ghanshyam Bavariya, Hemlata W/O Hanuman Prasad Mahajan, Madhudevi W/O Parvinkumar Mahajan	
	82	Private	Wet	210	Rukmanidevi W/O Babulal Agarwal, Hemlata W/O Hanuman Prasad, Mayadevi W/O Ramavtar, Lakshmi Dube W/O Santoahkumar Dube, Radha Gupta W/O Sitaram Gupta, Aparna W/O Satyanarayan Sharma, Maganbai W/O Ramswaroop Bavariya., Mamoli S/O Shanker, Nazirkhan, Pappukhan S/O Mamoli. Dinesh Chand S/O Ghoodmal Mahajan, Radheshyam S/O Chotelal Mahajan.	
	86	Private	Wet	1560	Radha Gupta W/O Sitaram Gupta, Aprna W/O Satyanarayan Sharma, Meera W/O Ghanshyam Bavariya, Hemlata W/O Hanuman Prasad Mahajan, Madhudevi W/O Parvinkumar Mahajan	
	87	Private	Wet	56	Ismilekhan, Nurkhan, Yasinkhan S/O Kaluwakhan. Amirkhan, Vali Ahemadkhan S/O Basirkhan. Radha Gupta W/O Sitaram Gupta, Aparna W/O Satyanarayan Sharma, Abdulkhan, Raddankhan, Safikhan, Akbarkhan S/O Mamoli	
	89	Private	Dry	1755	Radha Gupta W/O Sitaram Gupta, Aparna W/O Satyanarayan Sharma, Mayadevi W/O Ramavtar Mahajan, Prabhu S/O Bansi, Fulli W/O Chiranji, Mittulal, Jagdish Prasad S/O Chiranji, Harkesh, Ramkesh, Shivkesh S/O Pittu, Pyarbai W/O Pittu, Brijlal, Ghanshayam, Kailash, Kedar, S/O Moolchand, Dakha Narayani W/O Moolchand.	
	92	Private	Dry	3432	Lakshmi Dube W/O Santosh Kumar Dube, Chando Devi W/O Ramcharan Khandelwal.	
	104	Private	Dry	1600	Mishrilal S/O Lohadchya Bairwa	
	199	Private	Dry	1926	Chiranji S/O Bhola Gurjar	

				200	Private	Dry	1042	Amarsingh, Navalsingh Kamalsingh, Fatehsingh S/O Mishraya Gurjar, Moutya W/O Mishraya Gurjar.
				201	Private	Dry	955	Sawaliya, Parsadi S/O Banshi Gurjar
				202	Private	Dry	380	Sawaliya, Parsadi S/O Banshi Gurjar
				204	Private	Dry	875	Amarlal, Narasi, Jhandu S/O Motilal. Satyanarayan S/O Kishanlal, Rampati W/O Kishanlal, Bishan S/O Lallu.
				205	Private	Dry	1276	Hajari S/O Gordhan Gurjar
				211	Private	Dry	765	Rampati Keshar W/O Ramjilal Gurjar
				212	Private	Dry	1515	Naval, Shivdayal, Megharam, Suresh, Dinesh S/O Chimman Gurjar.
				213	Private	Dry	1587	Ramkishor S/O Harphool Gurjar.
				167	Private	Wet	70	Ghoodya, Ajmeri, Alanoor S/O Kamal Teli.
				171	Private	Dry	1473	Ramkumar S/O Ghoodya Gurjar
				172	Private	Dry	292	Rampati Keshar W/O Ramjilal Gurjar.
				173	Private	Dry	2140	Girraj S/O Ramsahai Gurjar
				179	Private	Wet	1210	Gordhan S/O Ramhet Mali, Punya W/O Ramhet Mali, Chouthi W/O Dhauji Mali, Sheela W/O Budharam Mali
				178	Private	Wet	2120	Hari S/O Harpjoal Mali
				180	Private	Wet	10	Gordhan S/O Ramhet Mali, Punya W/O Ramhet Mali, Chouthi W/O Dhauji Mali, Sheela W/O Budharam Mali
				177	Private	Wet	91	Hari S/O Harpjoal Mali
				183	Private	Wet	1945	Hari S/O Harpjoal Mali
				392	Private	Wet	262	Ramkishor S/O Harphool Gurjar
				393	Private	Wet	825	Rampati W/O Ramdhan, Dharmendra, Gajendra S/O Ramdhan, Sushila D/O Ramdhan Gurjar.
				394	Private	Wet	1290	Chirmoli S/O Johari Gurjar
				401	Private	Wet	470	Chirmoli S/O Johari Gurjar
				402	Private	Wet	540	Chirmoli S/O Johari Gurjar
				407	Private	Wet	630	Ghoodmal, Kashiprasad, Ragunandan, Dineshkumar S/O Gangasahai, Gayatri Devi W/O Khemchand, Gauravkumar S/O Khemchand, Sapana D/O Khemchand, Murarilal S/O Kapoorchand Mahajan, Radheshyam S/O Birdhichand, Purushottamlal, Govind S/O Ghasilal. Giridharilal S/O Kapoorchand.
				423	Private	Wet	255	Hari, Suraj, Madanmohan S/O Kishanlal, Mahesh S/O Bhoorsingh, Chetu S/O Badari, Rampati W/O Badri, Kailashi W/O Naval. Sitaram Vijay S/O Naval. Lali, Moti, Gayatri, Galla D/O Naval, Narsi, Ramseela S/O Mula. Jassi W/O Kamal, Satyanarayan, Laxman S/O

							Kamal
			424	Private	Wet	390	Hari, Suraj, Madanmohan S/O Kishanlal, Mahesh S/O Bhoorsingh, Chetu S/O Badari, Rampati W/O Badri, Kailashi W/O Naval, Sitaram Vijay S/O Naval, Lali, Moti, Gayatri, Galla D/O Naval, Narsi, Ramseela S/O Mula, Jassi W/O Kamal, Satyanarayan, Laxman S/O Kamal
			457	Private	Wet	1025	Chirmoli S/O Ramsahai Gurjar
			425	Private	Wet	545	Kailashchand S/O Chiranjilal Mahajan
			426	Private	Wet	85	Radheshyam S/O Fondilal Mahajan
			470	Private	Wet	720	Sukharam, Shreephool S/O Mannu Mali
			471	Private	Wet	655	Hariprasad S/O Kishanlal Gurjar
			441	Private	Wet	745	Hariom S/O Mishrilal, Lakshmikant, Jugalkishor S/O Haricharan, Shanti W/o Haricharan, Santara W/o Damodar, Rambabu, Radhamohan, Kallu S/O Damodhar, Kamalesh, Mithalesh, Seema D/O Jagdish, Deepak S/O Jagdish, Sitadevi W/O Jagdish, Rameshwar, Omprakash S/O Girrajprasad.
			472	Private	Wet	1380	Hari, Suraj, Madanmohan S/O Kishanlal, Mahesh S/O Bhoorsingh, Chetu S/O Badari, Rampati W/O Badri, Kailashi W/O Naval, Sitaram Vijay S/O Naval, Lali, Moti, Gayatri, Galla D/O Naval, Narsi, Ramseela S/O Mula, Jassi W/O Kamal, Satyanarayan, Laxman S/O Kamal
			443	Private	Wet	375	Hariom S/O Mishrilal Brahman
			444	Private	Wet	200	Moharsingh S/o Natthua Mali
			445	Private	Wet	1000	Moharsingh S/O Natthua Mali, Sandeep Kumar S/O Omprakash Swarnkar, Pradeep Kumar, Omprakash Sony.
			482	Private	Wet	1690	Hari, Suraj, Madanmohan S/O Kishanlal, Mahesh S/O Bhoorsingh, Chetu S/O Badari, Rampati W/O Badri, Kailashi W/O Naval, Sitaram Vijay S/O Naval, Lali, Moti, Gayatri, Galla D/O Naval, Narsi, Ramseela S/O Mula, Jassi W/O Kamal, Satyanarayan, Laxman S/O Kamal
			455	Private	Dry	1465	Ramjilal S/O Sonya Brahman
			484	Private	Wet	1180	Sukharam, Shreephool S/O Mannu Mali
			485	Private	Wet	1540	Swroop S/O Chothya Mali, Shreephool S/O Chothya Mali, Ramsinh S/O Banshi Mali, Naval S/O Faily Mali, Harighyan S/O Voma Mali, Satyanarayan S/O Bhorilal Sharma, Mishraya S/O Suganya Mali.

				454	Private	Wet	635	Ghanshayam S/O Motilal Mahajan
--	--	--	--	-----	---------	-----	-----	--------------------------------

[F. No. RW/NH-12013/36/2/2010/SP(C/4)/P-9]

V. KRISHNASWAMY, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2014

का.आ. 594(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1986(अ), तारीख 03 जुलाई, 2013 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के करौली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11-बी के किमी. 65/130 से किमी. 84/00 (लालसोट-करौली खण्ड) तक के भूखण्ड के निर्माण (चार लेन का बनाने/चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन 25 अगस्त 2013 तारीख को "राजस्थान पत्रिका" और "दैनिक भास्कर" में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुये थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11-बी के कि.मी. 65/130 से कि.मी. 84/0 (लालसोट-करौली खण्ड) तक के भूखण्ड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण / खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	करौली	करौली	1 गोपालपुरसाय	329/2	निजी	असिंचित	1960	अतरसिंह, सुमेरसिंह, पि. स्वरूपसिंह, काली पिता छगनलाल ब्राहमण, केदारसिंह पि. जोहरीलाल, राधारमण सिंह पि. जोरावरसिंह गुर्जर
				329/1	निजी	असिंचित	1300	राधाबाई बेवा मोतिसिंह राजपूत
				266	निजी	असिंचित	2400	पंकजकुमार सतीषकुमार पि. मुरारीलाल उर्मिलादेवी बेवा मुरारीलाल, नंदकिषोर पि0 मोतीलाल ब्राहमण
				265	निजी	असिंचित	7200	रामनिवास पि. बृजमोहन, बल्लु पि. बृजमोहन, नंदकिषोर पि. मोतीलाल ब्राहमण
				255	निजी	असिंचित	2200	पंकजकुमार सतीषकुमार पि0 मुरारीलाल उर्मिलादेवी बेवा मुरारीलाल, नंदकिषोर पि. मोतीलाल ब्राहमण
				254/1	निजी	असिंचित	1200	श्रीफल, हरवीर, धनसिंह, भगवानसिंह पि. नेतराम, भगवानी, नवलकोर पि. नेतराम
				328	निजी	असिंचित	1600	सुरेशचंद, पुत्र जुगलकिषोर बंसल राधेश्याम पि. कल्याण प्रसाद महाजन, आषा पत्नि नरेन्द्र भारद्वाज
				327/2	निजी	असिंचित	2200	पंकजकुमार सतीषकुमार पि. मुरारीलाल

				337				उर्मिलादेवी बेवा मुरारीलाल, नंदकिषोर पि० मोतीलाल ब्राह्मण
				326 / 1	निजी	असिंचित	1000	मनोज पि. बजरंगलाल ब्राह्मण, जमनालाल पि. नारायण माली
				326 / 2	निजी	असिंचित	1000	श्रीराम देवीसिंह पि. लक्ष्मीनारायण माली, कस्तुरी बेवा लक्ष्मीनारायण माली जमनालाल पि. नारायण माली
			2 रामपुर	78	निजी	असिंचित	100	विद्यादेवी पत्नि घनष्यामलाल अग्रवाल
				79	निजी	असिंचित	870	विद्यादेवी पत्नि घनष्यामलाल अग्रवाल
				80 / 1	निजी	असिंचित	1100	सुरेशचंद पाराषर पि. रामस्वरूपलाल ब्राह्मण, नथोली पुत्र गुलजी, घमण्डी पि० गुलजी चमार
				80 / 2	निजी	असिंचित	900	भरोसी पि. गुलजी चमार, घमण्डी पि० गुलजी चमार
			3 बरखेडा	462	निजी	असिंचित	500	हरीलाल रामनाथ जगनसिंह, रामसिंह, प्रेमसिंह, ओंकारसिंह, पि. श्रवणसिंह माली, क्षेत्रपालसिंह, धीरेन्द्रपालसिंह, वीरेन्द्रपाल सिंह पि. बृजराजपालसिंह राजपूत
				517 / 905	निजी	असिंचित	500	हरीलाल रामनाथ जगनसिंह, रामसिंह, प्रेमसिंह, ओंकारसिंह, पि. श्रवणसिंह माली, क्षेत्रपालसिंह, धीरेन्द्रपालसिंह, वीरेन्द्रपाल सिंह पि. बृजराजपालसिंह राजपूत
				542 / 1	निजी	असिंचित	50	हुकम पि. चिरंजी खवास
				542 / 2	निजी	असिंचित	50	काशीनाथ पि. चिरंजी नाई
				539 / 1	निजी	असिंचित	400	हुकम पि. चिरंजी लाल खवास
				539 / 1065	निजी	असिंचित	300	हुकम पि. चिरंजी लाल खवास
				539 / 1066	निजी	असिंचित	300	काशीनाथ पि. चिरंजी नाई
				539 / 1067	निजी	असिंचित	300	हुकम पि. चिरंजी लाल खवास
				539 / 1068	निजी	असिंचित	300	काशीनाथ पि. चिरंजी नाई
				539 / 2	निजी	असिंचित	200	काशीनाथ पि. चिरंजी नाई
				538 / 1	निजी	सिंचित	300	हुकम पि. चिरंजी लाल खवास
				538 / 2	निजी	सिंचित	320	काशीनाथ पि. चिरंजी नाई
				537 / 1	निजी	सिंचित	160	हुकम पि. चिरंजी लाल खवास
				537 / 2	निजी	सिंचित	200	काशीनाथ पि. चिरंजी नाई
				536	निजी	सिंचित	320	गणेशराम पि. हरभजन मीना श्रीचंद पि. हरभजन मीना
				533 / 1	निजी	सिंचित	200	हुकम पि. चिरंजी लाल खवास
				533 / 2	निजी	सिंचित	280	काशीनाथ पि. चिरंजी नाई
			4 करौली	6493	निजी	सिंचित	400	रामसिंह, लक्ष्मीचंद पि. शंकर माली लोहरी बेवा शंकर माली, गोपाल हरी धर्मसिंह पि. प्रसादी, बुधिदेवी बेवा प्रसादी माली
				6492	निजी	सिंचित	300	रामसिंह, लक्ष्मीचंद पि. शंकर माली लोहरी बेवा शंकर माली, गोपाल हरी धर्मसिंह पि. प्रसादी, बुधिदेवी बेवा प्रसादी माली
				6491	निजी	सिंचित	400	रामसिंह, लक्ष्मीचंद पि. शंकर माली लोहरी बेवा शंकर माली, गोपाल हरी धर्मसिंह पि. प्रसादी, बुधिदेवी बेवा प्रसादी माली
				6488	निजी	सिंचित	300	रामसिंह, लक्ष्मीचंद पि. शंकर माली लोहरी बेवा शंकर माली, गोपाल हरी धर्मसिंह पि. प्रसादी, बुधिदेवी बेवा प्रसादी माली

				6487	निजी	असिंचित	280	मूला पि. कलुआ माली
				6485	निजी	असिंचित	200	रामसिंह, लक्ष्मीचंद पि. शंकर माली लोहरी बेवा शंकर माली, गोपाल हरी धर्मसिंह पि. प्रसादी, बुधिदेवी बेवा प्रसादी माली
				6484	निजी	असिंचित	120	रामसिंह, लक्ष्मीचंद पि. शंकर माली लोहरी बेवा शंकर माली

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-12013/36/2/2010/एसपी (सी-4)/पी-9]

वी. कृष्णास्वामी, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2014

S.O. 594(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways No. S.O. 1986(E), dated 3rd July, 2013, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-lanning etc.), maintenance, management and operation of National Highways No. 11-B on the stretch of land from km. 65/130 to km. 84/000 (Lalsot-Karauli Section) in the District of Karauli in the State of Rajasthan.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Rajasthan Patrika” and “Dainik Bhaskar” dated 25th August, 2013; under sub-section (3) of Section 3A of the said Act.

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures, falling within the stretch of land from km. 65/130 to km. 84/00 (Lalsot-Karauli Section) of National Highway No. 11B, in the State of Rajasthan.

S. No.	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey/ Khasara No.	Type of land	Nature of land	Area (in Sqm)	Name of the land owners/ interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				329/2	Private	Dry	1960	Atarsingh, Sumersingh s/o Swaroop Singh Gurjar, Kali s/o Chhaganlal Brahman, Kedarsingh s/o Joharilal Gurjar, Radharamsingh s/o Jorawarsingh Gurjar
				329/1	Private	Dry	1300	Radhbai w/o Motisingh Rajput
				266	Private	Dry	2400	Pankaj Kumar, Satish kumar s/o Murarilal, Urmila Devi w/o Murarilal, Nandkishor s/o Motilal Brahman
				265	Private	Dry	7200	Ramniwas s/o Brijmohan, Ballu s/o Brijmohan, Nandkishor s/o Motilal Brahman
				255	Private	Dry	2200	Pankaj Kumar, Satish kumar s/o Murarilal, Urmila Devi w/o Murarilal, Nandkishor s/o Motilal Brahman
				254/1	Private	Dry	1200	Shreephall, Harveer, Dhansingh, Bhagwansingh s/o Netram

1	Karauli	Karauli	1. Gopalpursay					Bhagwani, Nawalkor d/o Netram Gurjar
				328	Private	Dry	1600	Sureshchand Bansal s/o Jugalkishor Bansal, Radheshyam s/o Kalyanprasad, Asha w/o Narendra Bhardwaj
				327/2/337	Private	Dry	2200	Pankaj Kumar, Satish kumar s/o Murarilal, Urmila Devi w/o Murarilal, Nandkishor s/o Motilal Brahman
				326/1	Private	Dry	1000	Manoj s/o Bajaranglal Brahman, Jamanalal s/o Narayan Mali
				326/2	Private	Dry	1000	Shreeram, Devisingh s/o Laxminarayan mali, Kistoori w/o Laxminarayan mali, Jamanalal s/o Narayan Mali
			2. Rampur	78	Private	Dry	100	Vidyadevi w/o Ghanshyamlal Agrawal
				79	Private	Dry	870	Vidyadevi w/o Ghanshyamlal Agrawal
				80/1	Private	Dry	1100	Suresh Chand parashar s/o Ramswaroop lal Brahman, Natholi s/o Gulji, Ghamandi s/o Gulji Chamar
				80/2	Private	Dry	900	Bharosi s/o Gulji Chamar, ghamandi s/o Gulji Chamar
			3. Barkheda	462	Private	Dry	500	Harilal, Ramnath, Jagansingh, Ramsingh, Premsingh, Onkarsingh s/o Sharvansingh Mali, Khetrapsingh, Dhirendrapalsingh, Virendrapalsingh s/o Brijrajpsingh Rajput
				517/905	Private	Dry	500	Harilal, Ramnath, Jagansingh, Ramsingh, Premsingh, Onkarsingh s/o Sharvansingh Mali, Khetrapsingh, Dhirendrapalsingh, Virendrapalsingh s/o Brijrajpsingh Rajput
				542/1	Private	Dry	50	Hukum s/o Chiranji Khawas
				542/2	Private	Dry	50	Kashinath s/o Chiranji Nai
				539/1	Private	Dry	400	Hukum s/o Chiranji Khawas
				539/1065	Private	Dry	300	Hukum s/o Chiranji Khawas
				539/1066	Private	Dry	300	Kashinath s/o Chiranji Nai
				539/1067	Private	Dry	300	Hukum s/o Chiranji Khawas
				539/1068	Private	Dry	300	Kashinath s/o Chiranji Nai
				539/2	Private	Dry	200	Kashinath s/o Chiranji Nai
				538/1	Private	Wet	300	Hukum s/o Chiranji Khawas
				538/2	Private	Wet	320	Kashinath s/o Chiranji Nai
				537/1	Private	Wet	160	Hukum s/o Chiranji Khawas
				537/2	Private	Wet	200	Kashinath s/o Chiranji Nai
				536	Private	Wet	320	Ganeshram s/o Harbhajan Meena, Shreechand s/o Harbhajan Meena
				533/1	Private	Wet	200	Hukum s/o Chiranji Khawas
				533/2	Private	Wet	280	Kashinath s/o Chiranji Nai
			4. Karauli	6493	Private	Wet	400	Ramsingh, Laxmichand s/o Shankar Mali, Lohari w/o Shankar Mali, Gopal, Hari, Dharamsingh s/o Prasad, Budhi Devi w/o Prasad Mali
				6492	Private	Wet	300	Ramsingh, Laxmichand s/o Shankar Mali, Lohari w/o Shankar Mali, Gopal, Hari, Dharamsingh s/o Prasad, Budhi Devi w/o Prasad Mali
				6491	Private	Wet	400	Ramsingh, Laxmichand s/o Shankar

								Mali, Lohari w/o Shankar Mali, Gopal, Hari, Dharamsingh s/o Prasadi, Budhi Devi w/o Prasad Mali
				6488	Private	Wet	300	Ramsingh, Laxmichand s/o Shankar Mali, Lohari w/o Shankar Mali, Gopal, Hari, Dharamsingh s/o Prasadi, Budhi Devi w/o Prasad Mali
				6487	Private	Dry	280	Mula s/o Kaluva mali
				6485	Private	Dry	200	Ramsingh, Laxmichand s/o Shankar Mali, Lohari w/o Shankar Mali, Gopal, Hari, Dharamsingh s/o Prasadi, Budhi Devi w/o Prasad Mali
				6484	Private	Dry	120	Ramsingh, Laxmichand s/o Shankar Mali, Lohari w/o Shankar Mali

[F. No. RW/NH-12013/36/2/2010/SP(C/4)/P-9]

V. KRISHNASWAMY, Dy. Secy.